समाचार–प्रकाशनार्थ :–

सैलाना रोड क्षेत्र से 5 हजार स्क्वेयर फीट शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर कब्जे में लिया शहर सराय चौराहे से गुमटी को हटाया

अवैध रूप से कालोनी विकसित करने वालो व शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण व अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध निरंतर जारी रहेगी कार्यवाही

रतलाम 5 अक्टूबर । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार विकास अनुममति के बिना अवैध रूप से कालोनी विकसित करन वाले कालोनाईजरों के विरूद्ध कार्यवाही के साथ शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण व अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही जिला, पुलिस व निगम प्रशासन द्वारा की जा रही है जिसके तहत 5 अक्टूबर मंगलवार को सैलाना रोड क्षेत्र से 5 हजार स्क्वेयर फीट भूमि को निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के मार्गदर्शन में अतिक्रमण मुक्त कराकर कब्जे मे लिया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार अवैध रूप से कालोनी विकसित करने वाले कालोनाईजरों के साथ ही शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही कार्यवाही के तहत सैलाना रोड क्षेत्र में बालाजी मार्बल द्वारा 5 हजार स्क्वेयर फीट शासकीय भूमि पर किये अवैध कब्जे को हटाकर भूमि को कब्जे में लिया गया। इसके अलावा शहर सराय क्षेत्र में सांची पार्लर की गुमटी की शिकायत जन सुनवाई में प्राप्त होने पर गुमटी को हटाया गया।

उक्त भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण को तोड़ने हेतु निगम द्वारा निर्धारित 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से अतिक्रमणकर्ता से राशि वसूली जायेगी जिसके तहत अतिक्रमणकर्ता से अवैध निर्माण तोड़ने की राशि वसूलने हेतु शीघ्र नोटिस जारी किये जा रहा है। श्री झारिया ने बताया कि अवैध कालोनियों और शासकीय जमीनों पर अवैध कब्जों को हटान की मुहिम सतत जारी रखी जाएगी।

भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही के दौरान एसडीएम श्री अभिषेक गहलोत, सीएसपी श्री हेमन्त चौहान, तहसीलदार श्री गोपाल सोनी, उपयंत्री श्री मनीष तिवारी, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर व लोक निर्माण विभाग का अमला उपस्थित था।

5 अक्टूबर को 1 मिट्रिक टन से ज्यादा कचरा जुलवानिया पंहूचा

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन

रतलाम 05 अक्टूबर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर–घर से पृथक–पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले–सूखे कचरे व सड़को व नाले–नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा ह जिसके तहत 05 अक्टूबर मंगलवार को 1 मिट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

05 अक्टूबर मंगलवार को डम्पर से 44910, ट्रेक्टर से 6445, काम्पेक्टर सूखा कचरा 27510 व गीला कचरा 22330 किलो इस तरह कुल 101195 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

स्पॉट फाईन दल के कर्मचारियों का 35 दिवस का वेतन काटा सेवा से बर्खास्त किये जाने का सूचना पत्र जारी

रतलाम 5 अक्टूबर । खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर स्पॉट फाईन किये जाने हेतु गठित दल द्वारा विगत सितम्बर माह से नियमित रूप से स्पॉट फाईन नहीं करने, शहर में कहीं भी स्पॉट फाईन नहीं करते पाये जाने व प्रतिदिन लक्ष्य अनुरूप स्पॉट फाईन नहीं करने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्पॉट फाईन दल के कर्मचारियों का 35 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट, मनोज झांझोट, राकेश ललावत व आकाश शिन्दे द्वारा विगत सितम्बर माह से 5 अक्टूबर तक नियमित व लक्ष्य अनुरूप स्पॉट फाईन नहीं करने तथा कार्य में लापरवाही बरतने पर 1 सितम्बर से 5 अक्टूबर तक (कुल 35 दिवस) प्रतिदिन वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

दै.वे. भोगी कर्मचारी राजेन्द्रसिंह का 7 दिवस का वेतन काटा
सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी

रतलाम 5 अक्टूबर । जलप्रदाय विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी राजेन्द्रसिंह–रामचन्द्र द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के विरूद्ध गलत टिप्पणी करने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार 7 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

खुले में गंदगी करने पर 4 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 5 अक्टूबर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करत है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 4 अक्टूबर मंलवार को खुले में गंदगी करने वाले 4 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर दिनेश जवाहर नगर पर 2000, राकेश स्टेशन रोड, अकबर शहर सराय व बुरहानी फर्नीचर छत्रीपुल पर 500–500 रूपये का जुर्माना कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी गई।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले, अतिक्रमण करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह मो. नं. 7471144930, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो. नं. 7471144931, श्री किरण चौहान मो.नं. 7471144932, श्री विनय चौहान मो.नं. 8770535145, श्री विराट मेहरा 9770326691, स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिन्दे मो.नं. 9424075393, 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ–स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

नो पार्किंग में खड़े 6 वाहनों को जब्त कर वसूला जुर्माना

रतलाम 05 अक्टूबर । नगर में ऐसे नागरिक जो कि अपने वाहनों को नो पार्किंग में खड़ा कर यातायात व्यवस्था को बाधित करते है, उनके वाहन जब्त कर जुर्माना वसूलने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार चलाई जा रही है जिसके तहत 05 अक्टूबर मंगलवार को नो पार्किंग में खड़े 6 वाहनों को नगर निगम की क्रेन से जब्त कर संबंधितों से जुर्माना वसूला गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार 6 अक्टूबर मंगलवार को चांदनी चौक, धनमण्डी, डालू मोदी बाजार क्षेत्र में नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर शेरसिंह–धन्नालाल पर 500, नानक–चेतनदास, संजू–कैलाश पटेल, अजयसिंह–विक्रमसिंह, सुनील–भवंरलाल अग्रवाल व अंकुश–मोहनलाल परिहार पर 200–200 रूपये का जुर्माना किया गया।

नगर निगम के आईटी सेल में हितग्राही बनवायें आयुष्मान कार्ड

रतलाम 05 अक्टूबर । आयुष्मान भारत ''निरामयम'' योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियों के निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य नगर निगम के आईटी सेल कार्यालय में कार्यालयीन समय में बनाये जा रहे है इस हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि गरीब एवं असहाय परिवारेां पर बीमारियों पर खर्च होने वाले आर्थिक बोझ एवं गुणवत्तापूर्वक इलाज समय पर उपलब्ध कराये जाने हेतु आयुष्मान भारत ''निरामयम'' योजना के तहत नगर के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड नगर निगम के विकास शाखा स्थित आईटी सेल में बनाये जा रहे है।

आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियो को निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया है कि रतलाम नगर के शेष रहे हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाये जाना है। पात्र हितग्राहियों और उनके परिवार सदस्यों का पंजीयन किये जाने हेतु आधार कार्ड व समग्र आईडी दस्तावेज के रूप में लिये जावें।

1467 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 27 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 05 अक्टूबर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाइन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 10,000/– ब्याज मुक्त ऋण हेतु 3373 हितग्राहियों द्वारा आवेदन पस्तुत किये गये है जिसमें से 1705 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 1427 हितग्राहियों का ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह द्वितीय कार्यशील पूंजी हेत राशि रूपये 20,000/– ब्याज मुक्त ऋण हेतु 58 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 51 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 38 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में नगर पालिक निगम निगम रतलाम को 150 के प्राप्त लक्ष्य के तहत 209 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से 35 प्रकरण स्वीकृत हुए तथा 25 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में नगर पालिक निगम निगम रतलाम को 5 के प्राप्त लक्ष्य के तहत 3 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से 2 प्रकरण स्वीकृत हुए तथा 2 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही
15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 05 अक्टूबर । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों स 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

डेंगू से बचाव हेतु प्रत्येक झोन में एक–एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव निरंतर जारी

रतलाम 05 अक्टूबर । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव हेतु नगर प्रत्येक झान में एक–एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव का कार्य निरंतर जारी है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर बताया कि शहर में बढ़ रहे डेंगू व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार प्रत्येक झान में एक–एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से नगरनिगम व मलेरिया विभाग द्वारा रूट चार्ट अनुसार सुबह 05:30 से 08:00 बजे तक व शाम को 06:00 से रात 10:00 बजे तक किया जा रहा है साथ ही प्रत्येक वार्ड में एक–एक हैण्ड स्प्रे मषीन से भी कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 05 अक्टूबर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमो का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 05 अक्टूबर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों का निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना

सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 05 अक्टूबर । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाइ का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 05.10.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.